

# Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत- राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर  
केदार सिंह वगैरे बनाम भंवर सिंह वगैरे  
किस्म मुकदमा 223 आर टी एक्ट.....अपील संख्या 31/18  
GCMS NO 2025/13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.25	<p>अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता की बहस अपील पर सुनी गई। दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। जिसमे अपीलांट भंवर सिंह के फौत होने की सूचना प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 30.9.15 को दिये जाने पर मृतक भंवर सिंह के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का 90 दिवस गुजरने के पश्चात भी पेश नहीं करने एवं दिनांक 13.5.16 को वादी भंवर सिंह के पुत्र केदार सिंह के राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त एवं 13 माह पश्चात प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश करने पर बिलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई ठोस कारण नहीं माना जाकर वाद वादी न0 1 भंवर सिंह की हद तक उपशमन किये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है। जबकि सही तथ्य है कि वादी भंवर सिंह की मृत्यु की जानकारी अधिवक्ता का नहीं हुई थी। यदि जानकारी होती जो आवश्यक रूप से समय पर कायम मुकाम की कार्यवाही की जाती है। मृतक के पुत्र के द्वारा दिनांक 8.11.16 को वादी के मरने की जानकारी देने पर अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 16.11.16 को प्रार्थना कायम मुकाम पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गैर कानूनी तरीके से खारिज कर दिया गया। वादी के मरने की जानकारी समय पर नहीं होने के कारण ही प्रार्थना पत्र बिलम्ब से पेश किया गया था। मृतक भंवरसिंह विवादित आराजीयात मे सहखातेदार है। जिसमे उसके अधिकार निहित है। दावा अचल सम्पति से संबंधित है। इस प्रकार अपीलांट को उचित सुनवाई का अधिकार दिया जाना आवश्यक है नहीं तो उसके अधिकारो का हनन होगा। इस प्रकार वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियत 3 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को बतौर वादी रिकार्ड पर लिया जाकर सुनवाई करने के आदेश प्रदान किये जावे।</p> <p>अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी मृतक भंवर सिंह की कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र बिलम्ब से पेश किये जाने के कारण वादी मृतक की हद तक दावा उपशमन किया गया है। चूंकि वादी मृतक विवादित आराजीयात मे सहखातेदार है। किसी प्रार्थना के आधार पर उसके अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्रार्थना पत्र बिलम्ब से पेश करने का कोई ठोस कारण नहीं होने का उल्लेख किया जाकर दावा वादी मृतक भंवरसिंह की हद तक उपशमन किया गया है। जिससे वादी मृतक के वारिसान को सहखातेदारी की अचल सम्पति के अधिकारो से वंचित होना पड़ेगा। इस प्रकार अपीलांट अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक के जायज वारियान को कायम मुकाम बनाया जाकर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के यहाँ दिनांक 4.4.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्णय सुनाया गया।</p>	



राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

